This is a digitally signed gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 14 जनवरी, 2011 / 24 पौष, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 14 जनवरी, 2011

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–51 / 2010–लेज.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 13–1–2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 37) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक–1 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव (विधि)।

2011 का अधिनियम संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 13 जनवरी, 2011 को यथानुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह 16 नवम्बर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. **धारा 11 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में "और उपाध्यक्ष" शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. **धारा 22 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 22 के प्रथम परन्तुक में "और उपाध्यक्ष" शब्दों का लोप किया जाएगा।

4. **2010 के अध्यादेश संख्यांक 9 का निरसन और व्यावृत्तियां.**—(1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई बात इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 1 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (SECOND AMENDMENT) ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 13TH JANUARY, 2011)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (*Act No. 13 of* 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title and commencement.—**(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 16th day of November, 2010.

2. Amendment of section 11.—In section 11 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section(1), in first proviso, the words and sign "and Vice-President" shall be omitted.

3. Amendment of section 22.—In section 22 of the principal Act, in first proviso, the words and sign "and Vice-President" shall be omitted.

4. Repeal of H.P. Ordinance No. 9 of 2010 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 2010 is hereby repealed.

(2) Notwith standing such repeal, any action taken or any thing done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been taken or done under the corresponding provisions of this Act.

GOVERNOR'S SECRETARIAT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171002

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th January, 2011

No. 22-1/71-GS.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Shri Harish Chand, Supdt. Gr.-II is hereby promoted as Section Officer, Class-I (Gazetted) in the pay scale of Rs. 10300-34800+5000 GP per month purely on *adhoc* basis against the vacant post of Under Secretary with immediate effect.

Sd/-
Secretary to Governor,
Himachal Pradesh.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 13 जनवरी, 2011

संख्या ई.एक्स.एन.–एफ(10)–7/2010.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यथा लागू और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश को अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा लागू पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 6 के खण्ड (ब), धारा 8 और 10, धारा 13 के खण्ड (ठ), धारा 14, 45, 46, 47, 49, 58 और 73 के अधीन, उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती हैं कि अधिसूचना संख्या 1–17/64–ई एण्ड टी, तारीख 7 अगस्त, 1965 द्वारा अधिसूचित और समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश (एक्साइज पावर्स एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाएगा, अर्थात्:–

संशोधन

1. **आर्डर 4 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश (एक्साइज पावर्स एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त आर्डरज" कहा गया है) के आर्डर 4 में, "Excise and Taxation Officers", शब्दों के स्थान पर "Excise and Taxation Officers, Assistant Excise and Taxation Officers" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे ।

2. **आर्डर 5 को संशोधन.**—उक्त आर्डरज के आर्डर 5 के ग्रुप 'A' में, —

(i) क्रम संख्या 4 में, " and Excise and Taxation Officers" शब्दों के स्थान पर ", Excise and Taxation Officers and Assistant Excise and Taxation Officers" शब्द रखे जाएंगे ; और

(ii) क्रम संख्या 6 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याः 6–A अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"6-A All Assistant Excise and Taxation officers । "।

3. **आर्डर 10 का संशोधन.**—उक्त आर्डरज के आर्डर 10 के नीचे संलग्न शेड्यूल में, —

(i) स्तम्भ संख्या 2 में क्रम संख्या 3 पर, " and Excise and Taxation Officers", शब्दों और चिन्ह के पश्चात् "Assistant Excise and Taxation Officers" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे

:

(ii) स्तम्भ संख्या 2 में क्रम संख्या 4 पर " Excise and Taxation Officers A" शब्दों और चिन्ह के पश्चात् "Assistant Excise and Taxation Officers A" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) स्तम्भ संख्या 2 में क्रम संख्या 5 पर, " Excise and Taxation Inspector", शब्दों से पूर्व "Assistant Excise and Taxation Officer or" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) स्तम्भ संख्या 2 में क्रम संख्या 7 पर, "Excise and Taxation Inspector" शब्दों से पूर्व "Assistant Excise and Taxation Officers or" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(v) स्तम्भ संख्या 3 में क्रम संख्या 7 पर "Officer" शब्द के पश्चात् आए "Incharge of the Circle" शब्दों से पूर्व "A Assistant Excise and Taxation Officer" चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(vi) स्तम्भ संख्या 2 में क्रम संख्या 8 पर " Excise and Taxation Officer A" शब्दों और चिन्ह के पश्चात् "Assistant Excise and Taxation OfficersA" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(vii) स्तम्भ संख्या 2 में क्रम संख्या 13 पर " Excise and Taxation Officers A" शब्दों और चिन्ह के पश्चात् "Assistant Excise and Taxation Officers A" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(viii) स्तम्भ संख्या 2 में क्रम संख्या 14 पर " Excise and Taxation Officers A" शब्दों और चिन्ह के पश्चात् "Assistant Excise and Taxation Officers A" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ix) स्तम्भ संख्या 2 में क्रम संख्या 16 पर "Officer" शब्द के पश्चात् आए "Incharge of the Circle" शब्दों से पूर्व " and Assistant Excise and Taxation Officer" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(x) स्तम्भ संख्या 2 में क्रम संख्या 17 पर "Officer" शब्द के पश्चात् आए "Incharge of the Circle" शब्दों से पूर्व " and Assistant Excise and Taxation Officer" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(xi) स्तम्भ संख्या 2 में क्रम संख्या 19 पर " or Excise and Taxation Officer" शब्दों के स्थान पर "or Excise and Taxation Officer or Assistant Excise and Taxation Officer " शब्द रखे जाएंगे ; और

(xii) स्तम्भ संख्या 2 में क्रम संख्या 20 पर " Excise and Taxation Officers A" शब्दों और चिन्ह के पश्चात् "Assistant Excise and Taxation Officers A" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

———

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-7/2010, dated 13th January, 2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th January 2011

No. EXN-F(10)-7/2010.—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of powers vested in her under clause (c) of section 6, sections 8 and 10, clause (b) of section 13, sections 14, 45, 46, 47, 49, 58 and 73 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914), as applied to Himachal Pradesh and as applicable in the territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-Organisation Act, 1966 (31 of 1966), is pleased to direct that the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965 notified vide notification No. 1-17/64-E & T dated 7th August, 1965, and as amended from time to time, shall be amended as follows, namely :-

AMENDMENTS

1. Amendment of Order 4.—In Order 4 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965 (hereinafter called the "said Orders"), for the words "Excise and Taxation Officers", the sign and words ",Excise and Taxation Officers, Assistant Excise and Taxation Officers" shall be substituted.

2. Amendment of Order 5.—In GROUP "A" of Order 5 of the said Orders,-

(i) at serial No. 4, for the words "and Excise and Taxation Officers", the sign and words ", Excise and Taxation Officers and Assistant Excise and Taxation Officers" shall be substituted; and

(ii) after serial number 6., the following serial No. 6-A. shall be inserted, namely :-

"6-A. All Assistant Excise and Taxation Officers.".

3. Amendment of Order 10.—In Schedule appended below Order 10 of the said Orders, —

(i) at serial Nos. 3 in column No. 2, after the words and sign "Excise and Taxation Officer/", the words and sign "Assistant Excise and Taxation Officer/" shall be inserted;

(ii) at serial Nos. 4 in column No. 2, after the words and sign "Excise and Taxation Officer/", the words and sign "Assistant Excise and Taxation Officer/" shall be inserted;

(iii) at serial No. 5 in column No. 2, before the words "Excise and Taxation Inspector", the words "Assistant Excise and Taxation Officer or" shall be inserted;

(iv) at serial No. 7 in column No. 2, before the words "Excise and Taxation Inspector", the words "Assistant Excise and Taxation Officer or" shall be inserted;

(v) at serial No. 7 in column No. 3, before the words "Incharge of the Circle", appearing after the words "officer" the sign and the words "/Assistant Excise and Taxation Officer" shall be inserted;

(vi) at serial No. 8 in column No. 2, after the words and sign "Excise & Taxation Officer/", the words and sign "Assistant Excise and Taxation Officer/" shall be inserted;

(vii) at serial No. 13 in column No. 2, after the words and sign "Excise and Taxation Officer/" , the words and sign "Assistant Excise and Taxation Officer/" shall be inserted;

(viii) at serial No. 14 in column No. 2, after the words and sign "Excise and Taxation Officer/", the words and sign "Assistant Excise and Taxation Officer/" shall be inserted;

(ix) at serial No. 16 in column No. 2, before the words "Incharge of the Circle", appearing after the words "officer", the words "and Assistant Excise and Taxation Officer" shall be inserted;

(x) at serial No. 17 in column No. 2, before the words "Incharge of the Circle", appearing after the words "officer", the words "and Assistant Excise and Taxation Officer" shall be inserted;

(xi) at serial No. 19 in column No. 2, for the words "or Excise and Taxation Officer", the words "or Excise and Taxation Officer or Assistant Excise and Taxation Officer" shall be substituted; and

(xii) at serial No. 20 in column No. 2, after the words and sign "Excise and Taxation Officer/" the words and sign "Assistant Excise and Taxation Officer/" shall be inserted.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 13 जनवरी, 2011

संख्या ई.एक्स.एन.–एफ(10)–7 / 2010(i).––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सडक़ द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 19 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 28 जनवरी, 1992 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन.–एफ(1)2 / 91, तारीख 18 जनवरी, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिसूचना कहा गया है) को निम्न प्रकार से संशोधित करती हैं, अर्थात्: –

संशोधन

1. उक्त अधिसूचूना के पैरा 2 में, –

(क) क्रम संख्या 3 में "और आबकारी एवं कराधान अधिकारी" शब्दों के स्थान पर श्ए आबकारी एवं कराधान अधिकारी और सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) क्रम संख्या 5 में, "य" चिन्ह के पश्चात् आए "और" शब्द का लोप किया जाएगा और तत्पश्चात् नई क्रम संख्या (5–A) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(5–A) समस्त सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी; और";

(ग) क्रम संख्या 6 में, –

(i) भाग (vii) में "और आबकारी एवं कराधान अधिकारी" शब्दों के स्थान पर", आबकारी एवं कराधान अधिकारी और सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे; और

(ii) भाग (viii) में, "समस्त आबकारी एवं कराधान अधिकारी" शब्दों के पश्चात् " और सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में, –

(क) क्रम संख्या (iii) में, "और आबकारी एवं कराधान अधिकारी" शब्दों के स्थान पर ", आबकारी एवं कराधान अधिकारी और सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) क्रम संख्या (iv) के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या (V-a) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(V-a) समस्त आबकारी एव ं कराधान अधिकारी । "।

3. उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में, –

(क) क्रम संख्या (iii) में, "और आबकारी एवं कराधान अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "आबकारी एवं कराधान अधिकारी और सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) क्रम संख्या (v) के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या (vi) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(vi) समस्त सहायक आबकारी एव ं कराधान अधिकारी । "।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-7/2010(i), dated 13th January 2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th January, 2011

No. EXN-F(10)-7/2010(i).—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under sub-section (1) of Section 7 read with sub-section 2 of section 19 of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road Act, 1999 (Act No. 16 of 1999), is pleased to amend the notification No. EXN-F (1)2/91 dated 18th January, 1992 published in Rajpatra Himachal Pradesh dated 28th January, 1992 (hereinafter called the "said notification"), as follows, namely:-

AMENDMENTS

1. In para 2 of the said notification, --

(a) at serial No. (3), for the words "and Excise and Taxation Officers", the sign and the words ", Excise and Taxation Officers and the Assistant Excise and Taxation Officers" shall be substituted; and

(b) at serial No. (5), the word "and" occurring after the sign ";" shall be omitted and thereafter the following serial No. (5-A) shall be inserted namely:-

"(5-A) all Assistant Excise and Taxation Officers; and";

(c) at Sr. No. 6,—

(i) in part (vii), for the words "and Excise and Taxation Officers", the sign and the words ", Excise and Taxation Officers and the Assistant Excise and Taxation Officers" shall be substituted ; and

(ii) in part (viii), after the words "All Excise and Taxation Officers" the words "and Assistant Excise and Taxation Officers" shall be substituted.

2. In para 3 of the said notification, --

(a) at Sr. No. (iii), for the words "and Excise and Taxation Officers", the sign and the words ", Excise and Taxation Officers and the Assistant Excise and Taxation Officers" shall be substituted ; and

(b) after serial No. (v), the following serial No. (v-a) shall be inserted namely :-

"(v-a). Assistant Excise and Taxation Officers.".

3. In para 4 of the said notification, --

(a) at Sr. No. (iii), for the words "and Excise and Taxation Officers", the sign and the words ", Excise and Taxation Officers and the Assistant Excise and Taxation Officers" shall be substituted ; and

(b) after serial No. (v), the following serial No. (vi) shall be inserted namely :-

"(vi). All Assistant Excise and Taxation Officers.".

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

——————

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 13 जनवरी, 2011

संख्या ई.एक्स.एन.–एफ(10)–7/2010(ii).—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, समस्त सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों को उनके अपनी–अपनी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर अर्थात् उनकी तैनाती के यथास्थिति, मुख्यालय/क्षेत्र/जिला/वृत में समाविष्ट क्षेत्रों में आयुक्त की सहायता करने के लिए नियुक्त करती हैं ।

2. हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा पद्र त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के अर्यान्तर्गत आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा कार्य/फाइलों/मामलों के आबंटन के अध्यधीन समस्त सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों को निर्धारण प्राधिकारी की शक्तियों के प्रयोग और कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करती हैं ।

3. हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों को इस अधिसूचना के पैरा 1 में यथाविनिर्दिष्ट उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता में उक्त धारा के अन्तगर्त आने वाले मामलों में जांच का संचालन करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-7/2010(ii) dated 13th January, 2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th January, 2011

No. EXN-F(10)-7/2010(ii).—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under sub-section (1) of Section 3 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) (hereinafter called the "said Act") is pleased to appoint all the Assistant Excise and Taxation Officers to assist the Commissioner in carrying out the purposes of the said Act within their territorial jurisdiction, that is, within the areas comprised in the Headquarters/ Zone/District/circle of their posting, as the case may be.

2. The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 3 of the said Act, is further pleased to appoint all the Assistant Excise and Taxation Officers to exercise the powers and to perform the duties and functions of the Assessing Authority subject to allocation of work / files / cases by Excise & Taxation Commissioner within the meaning of clause (b) of section 2 of the said Act.

3. The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by subsection (7) of section 34 of the said Act, is further pleased to authorise the Assistant Excise and Taxation Officers to conduct the enquiry into the matter covered under the said section within their respective jurisdiction as specified in para 1 of this notification.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 13 जनवरी, 2011

संख्या ई.एक्स.एन.–एफ(10)–7 / 2010(iii).——हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 7 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समस्त सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा, यथास्थिति, कार्य / फाइलों / मामलों के आबंटन के अध्यधीन, आयुक्त की सहायता करने के लिए और मनोरंजन कर अधिकारियों के रूप में कार्य करने को नियुक्त करती हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-7/2010(iii), ated 13th January, 2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th January 2011

No. EXN-F(10)-7/2010(iii).—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred by Section 7 of the Himachal Pradesh Entertainment Duty Act, 1968 (Act No. 12 of 1968), is pleased to appoint all the Assistant Excise and Taxation Officers to assist the Commissioner in carrying out the purposes subject to allocation of work/files/cases by the Excise & Taxation Commissioner of the said Act, as the case may be, and to act as Entertainment Tax Officers.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 13 जनवरी, 2011

संख्या ई. एक्स.एन.–एफ(10)–7 / 2010(iv).––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समस्त सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, आयुक्त की सहायता करने के लिए नियुक्त करती हैं ।

2. हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 2(क) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समस्त सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (जो नाकों या बैरियरों, ब्रुअरि और डिस्टलरि में तैनात हैं, से अन्यथा) को, उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के अर्थान्तर्गत आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा कार्य / फाईलों / मामलों के आबंटन के अध्यधीन, निर्धारण प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयागे करने और कत्तव्यों तथा कृत्यों का पालन करने को प्राधिकृत करती हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-7/2010(iv) dated 13th January, 2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th January, 2011

No. EXN-F(10)-7/2010(iv).—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of powers vested in her under sub-section (1) of Section 3 of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (Act No. 15 of 1979) (hereinafter called the "said Act"), is pleased to appoint all the Assistant Excise and Taxation Officers to assist the Commissioner in carrying out the purposes of the said Act.

2. The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 3 read with section 2 (a) of the said Act, is further pleased to authorise all the Assistant Excise and Taxation Officers (other than those posted at the check-posts or barriers, Breweries & Distilleries) to exercise the powers and to perform the duties and functions of the Assessing Authority subject to allocation of work/files/cases by Excise & Taxation Commissioner within the meaning of clause (a) of section 2 of the said Act.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 13 जनवरी, 2011

संख्या ई.एक्स.एन.–एफ(10)–7 / 2010(v).––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मनोरंजन कर (चलचित्र प्रदर्शन) अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समस्त सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों को, उक्त अधिनियम के अधीन, कार्य / फाइलों / मामलों के आबंटन के अध्यधीन प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में, आयुक्त की सहायता करने के लिए नियुक्त करती हैं।

2. हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयो करते हुए, समस्त सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (जो नाकों या बैरियरों पर तैनात हैं, से अन्यथा) को उक्त अधिनियम के अधीन विरचित दी हिमाचल प्रदेश एंटरटेनमैंट टैक्स (सिनेमाटोग्राफ शोज) रूल्ज, 1969 के रूल 2 के खण्ड (सी) के अर्थान्तर्गत निर्धारण प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-7/201(v) dated 13th January 2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th January 2011

No. EXN-F(10)-7/2010(v).—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of powers vested in her under sub-section (1) of Section 4 of the Himachal Pradesh Entertainment Tax (Cinematograph Shows) Act, 1968 (Act No. 11 of 1968), is pleased to appoint all the Assistant Excise and Taxation Officers to assist the Commissioner in carrying out the purposes subject to allocation of work/files/cases under the said Act.

2. The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 4, is further pleased to authorise all the Assistant Excise and Taxation Officers (other than those posted at the check-posts or barriers) to exercise the powers and to perform the duties and functions of the Assessing Authority within the meaning of clause (c) of Rule 2 of the Himachal Pradesh Entertainment Tax (Cinematograph Shows) Rules, 1969 framed under the said Act.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 13 जनवरी, 2011

संख्या ई.एक्स.एन.–एफ(10)–7/2010(vi).–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में या़त्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 01 अक्तूबर, 1996 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन.–एफ(18)1/96, तारीख 01 अक्तूबर, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिसूचना" कहा गया है) को निम्न प्रकार से संशोधित करती हैं, अर्थात्:–

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, –

(क) क्रम संख्या 3 में "और आबकारी एवं कराधान अधिकारी" शब्दों के स्थान पर ", आबकारी एवं कराधान अधिकारी और सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे ; और

(ख) क्रम संख्या 5 में, ";" चिन्ह के पश्चात् शब्द "और" का लोप किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नई क्रम संख्या (5– A) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: –

"(5– A) सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी; और";

(ग) क्रम संख्या 6 में, —

(i) भाग (vii) में "और आबकारी एवं कराधान अधिकारी" शब्दों के स्थान पर ", आबकारी एवं कराधान अधिकारी ओर सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे ; और

(ii) भाग (viii) में, "समस्त आबकारी एवं कराधान अधिकारी" शब्दों के पश्चात् " और सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में, —

(क) क्रम संख्या (iii) में, "और आबकारी एवं कराधान अधिकारी" शब्दों के स्थान पर ", आबकारी एवं कराधान अधिकारी और सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे ; और

(ख) क्रम संख्या (v) के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या (V-a) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(V-a) समस्त सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी । "।

3. उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में, —

(क) क्रम संख्या (iii) में, "और आबकारी एवं कराधान अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "और आबकारी एवं कराधान अधिकारी और सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ; और

(ख) क्रम संख्या (v) के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या (Vi) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(Vi) सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी । "।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / —
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-7/2010(vi) dated 13th January 2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th January, 2011

No. EXN-F(10)-7/2010(vi).—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under subsection (1) of Section 7 of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955), is pleased to amend the notification No. EXN-F(18)1/96 dated 1st October, 1996 published in Rajpatra Himachal Pradesh dated 1st October, 1996 (hereinafter called the "said notification", as follows, namely :-

AMENDMENTS

1. In para 2 of the said notification,—

(a) at Sr. No. 3, for the words "and Excise and Taxation Officers", the sign and the words ", Excise and Taxation Officers and the Assistant Excise and Taxation Officers" shall be substituted ; and

(b) at serial No. 5, the word "and" occurring after the sign ";" shall be omitted and thereafter the following serial No. (5-A) shall be inserted namely :-

"(5-A) Assistant Excise and Taxation Officers; and" ;

(c) at Sr. No. 6—

(i) in part (vii), for the words "and Excise and Taxation Officers", the sign and the words ", Excise and Taxation Officers and the Assistant Excise and Taxation Officers" shall be substituted ; and

(ii) in part (viii), after the words "All Excise and Taxation Officers" the words "and Assistant Excise and Taxation Officers" shall be inserted.

2. In para 3 of the said notification, --

(a) at Sr. No. (iii), for the words "and Excise and Taxation Officers", the sign and the words ", Excise and Taxation Officers and the Assistant Excise and Taxation Officers" shall be substituted; and

(b) after serial No. (v), the following serial No. (v-a) shall be inserted namely:-

"(v-a) All Assistant Excise and Taxation Officers.".

3. In para 4 of the said notification, --

(a) at Sr. No. (iii), for the words "and Excise and Taxation Officers", the sign and the words ", Excise and Taxation Officers and the Assistant Excise and Taxation Officers" shall be substituted; and

(b) after serial No. (v), the following serial No. (vi) shall be inserted namely :-

"(vi) Assistant Excise and Taxation Officers.".

By Order,
Sd/-
Principal Secretary (E&T).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित